न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 442/2021
जीसीएमएस सं. – 2021/545

–:: प्रार्थी ::–

1. पिन्दु देवी पुत्री सोहनलाल
2. सहीराम पुत्र सोहनलाल
3. सुभाष पुत्र सोहनलाल
4. मनीष पुत्र सोहनलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती मांगूदेवी पत्नि सोहनलाल

सभी जातियान मेघवाल निवासीगण खुड़ेचा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. जानकी पत्नि भीयाराम
2. मंवरलाल पुत्र भीयाराम
3. सुजाराम पुत्र भीयाराम
4. शिवलाल पुत्र भीयाराम
5. सोहनलाल पुत्र भीयाराम
6. तुलछी पुत्री भीयाराम

सभी जातियान मेघवाल निवासीगण खुड़ेचा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 22.09.2021

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह, अभिभाषक, प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द देवड़ा, अभिभाषक, अप्रार्थी सं. 2, 5, 6

निर्णय

दिनांक : 28.12.2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण / प्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष एक राजस्व मूल वाद अन्तर्गत धारा 88 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है जिसमें वादीगण / प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। ग्राम खुडेचा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक से छ की पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि 113 (एक सौ तेरह) क्षेत्रफल 1.6342 हैक्ट्रेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या दो में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 113 पर शुरू से ही प्रार्थीगण के दादा भीयाराम पुत्र गोपाराम काबिज होकर काश्त कार्य करते आये है। प्रार्थीगण के दादा भीयाराम के साथ साथ भीयाराम के चारों पुत्र व पुत्री तुलछी व पत्नि जानकी वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कार्य करते आये है। प्रार्थीगण के दादा भीयाराम का आज से करीब डेढ़ वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया था वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा भींयाराम के कब्जे काश्त की कृषि भूमि रही है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर सहुलियत अनुसार काश्त कार्य करते आये है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या पांच का संयुक्त रूप से 1/6 वां हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या एक का 1/6 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या दो का 1/6 वां हिस्सा अप्रार्थी संख्या तीन का 1/6 वां हिस्सा, अप्रार्थी संख्या चार का 1/6 वां हिस्सा व अप्रार्थी संख्या छ का 1/6 वां हिस्सा कानूनन निहित है। उक्त हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त कार्य करते आये है। उक्त हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक से छः शामलाती रूप से काबिज होकर काश्त कार्य करते आये है वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक माप व सीमांकन के बंटवाडा किया हुआ नही है। वादग्रस्त आराजी अविभाजित कृषि भूमि है जिसका प्रार्थीगण माप व सीमाकंन के बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है एंव प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या पांच अपना 1/6 हिस्सा, माप व सीमांकन के बंटवाडा करवाकर अपना हक हिस्सा अलग से बंटवाड़ा में प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण की दादी अप्रार्थी संख्या एक वृद्ध महिला है जिसकी आयु करीब 85 वर्ष है जो अपना भला बुरा नहीं समझती है। प्रार्थीगण की दादी को कम दिखाई देता है व कम सुनाई देता है। प्रार्थीगण की दादी शुरू से ही अप्रार्थी संख्या तीन सुजाराम के पास निवास करती आयी है। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या चार प्रार्थीगण की दादी को जबरदस्ती अपने घर ले गया है। दिनांक 01.09.2021 को अप्रार्थी संख्या चार शिवलाल वादग्रस्त आराजी पर अजनबी खरीददार को बैचान करने की नियत से दिखाने लगा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या चार से निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या पांच के साथ 1/6 वां हिस्सा पर कब्जा काश्त है वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि होने से प्रार्थीगण को जन्म से ही खातेदारी अधिकार पैदा हो गये है। आपको पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि को वैचान करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस पर अप्रार्थी संख्या चार ने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या एक के नाम से होने से वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण करके रहेगा व वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करके रहेंगा। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए न्यायहित में अप्रार्थीगण कों जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि है वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है अगर अप्रार्थीगण ने पुश्तैनी सहदायगी कृषि भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों पैसों में आंका नहीं जा सकेगा तथा प्रार्थीगण के जायज खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान व अन्तिम निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में एव अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि ग्राम खड़ेचा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 113 क्षेत्रफल 1.6342 हैक्ट्रेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वय दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण नहीं करे, अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के मौकें एंव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमावें ।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण सं. 1, 3, 4, के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थीगण सं. 2, 5, 6 की ओर से वकील राजेन्द्र देवड़ा वकालतनामा प्रस्तुत किया जिनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर उनका जवाब बन्द किया गया । तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार हैं।

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान व अन्तिम निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में एव अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें कि ग्राम खुड़ेचा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 113 क्षेत्रफल 1.6342 हैक्ट्रेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण न तो स्वय दखलअंदाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें अप्रार्थीगण वादग्रस्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आराजी का बैचान हस्तान्तरण नही करे, अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के मौकें एंव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने का निवेदन किया है और बताया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी भूमि है बैचान होगा तो कानूनी पेचीदगीयां बढ़ेगी । इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने से मय हर्ज खर्चे के खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया हैं ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जाकर राजस्व ग्राम खुड़ेचा तहसील पीपाड़ शहर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 113 क्षैत्रफल 1.6342 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय भूमि सहखातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है, जिसको अप्रार्थीगण बेचने की फिराक में हैं जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही हैं। प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला, सुविध का सन्तुलन, अपूरणीया क्षति के बिन्दु पर सिद्ध करने में सफल रहे हैं। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अन्तिम निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खुड़ेचा के खसरा नम्बर 113 में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नही तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें एवं राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावें।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर